

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री लोकन साव पिता स्व; सोहर साव निवासी ग्राम:पचरा , थाना: केरेड़ारी, जिला: हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: बिंगलात , थाना सं: 49 (रैयाती) खाता सं. 16, 07, 08, 02, 26 & 23 के अधीन प्लॉट सं. 205, 224, 289, 297, 504, 576, 681, 682, 207, 655, 508, 87, 290, 102, 140, 102, 140, 205, 224, 297, 504, 576, 681, 682, 289 & 290, कुल रकबा - 2.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम ग्राम: पचरा , थाना: केरेड़ारी, जिला: हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: बिंगलात , थाना सं: 49 (रैयाती) खाता सं. 16, 07, 08, 02, 26 & 23 के अधीन प्लॉट सं. 205, 224, 289, 297, 504, 576, 681, 682, 207, 655, 508, 87, 290, 102, 140, 102, 140, 205, 224, 297, 504, 576, 681, 682, 289 & 290, कुल रकबा - 2.00 एकड़ के तहत श्री लोकन साव पिता स्व; सोहर साव निवासी ग्राम:पचरा, थाना: केरेड़ारी, जिला: हजारीबाग (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

इसीलिए
२५/१०/१९